न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 125/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
बीजूलाल पुत्र बालकिशन जाति माली निवासी कोटगली नया दरवाजा, नागौर		1.राज.सरकार जरिये तहसीलदार नागौर 2.पटवारी हल्का, नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री मुकेश चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 15.11.17

(1)–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 41/2016 सरकार बनाम बीजूलाल में निर्णय दिनांक 11.07.16 के तहत मौजा नागौर के खसरा नं. 95 रकबा 7 बीघा गै.मु. बारानी भूमि से बेदखली एवं शास्ति के आदेश से असंतुष्ट होकर दिनांक 09.08.16 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 29.08.16 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

(2)–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

(2)(I)–आदेश जैर अपील खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

2)(II)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को साक्ष्य सुनवायी का पर्याप्त अवसर नही दिया व बिना पर्याप्त अवसर दिये ही गलत रूप से आदेश पारित किया है। जो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

(2)(III)–अपीलार्थी ने किसी भी प्रकार से खसरा नं. 95 रकबा 7 बीघा किस्म बारानी 4 पर किसी भी प्रकार से अतिक्रमण नही किया है। उक्त खसरा नं. 95 अपीलार्थी की रहवासी ढाणी दो पानी के टांके व चारों तरफ तारबंदी की हुई है। ढाणी में अपीलार्थी अपने परिवार सहित निवास करता आ रहा है तथा उक्त भूमि पर अपीलार्थी द्वारा बिजली कनेक्शन भी ले रखा है एवं अपीलार्थी का राशन कार्ड भी बना हुआ है तथा उक्त भूमि के अलावा अपीलांट के पास अन्य कोई भूमि नही है तथा अपीलार्थी का खेत पुरातन स्थिति में स्थित है तथा पुरातन सीवे माठे पुरातन समय की बनी हुई है। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार से नया कब्जा किया जाना व अतिक्रमण साबित नही है तथा न ही अतिक्रमण साबित करने हेतु पटवारी हल्का के बयान लिये गये व न ही जिरह का अवसर दिया गया। इसलिये अपीलाधीन आदेश एक विधि सम्मत आदेश की श्रेणी में नही आता है। इसलिये निरस्तनीय है।

(2)(IV)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का नागौर से मौके की किसी भी प्रकार से रिपोर्ट नही मंगवायी गई एवं न ही पटवारी हल्का नागौर से जिरह का अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौके देखे बिना साक्ष्य एवं सुनवायी का पर्याप्त अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित करने मे बडी भारी कानूनी एवं वाकियाती भूल की है। जिससे भी निर्णय जैर अपील खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

(2)(V)–खसरा नं. 95 को अपीलार्थी द्वारा अपनी निजी आय व खून पसीने की कमाई से जोत काबिल बनाया है। उक्त खेत की आय से अपीलार्थी अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता आया है। इसके अलावा अन्य कोई आय का साधन नही है। उक्त विवादित खेत पर लगभग पिछले 40–50 सालो से ही अपीलार्थी का कब्जा काश्त उपयोग एवं उपभोग रहता चला आया है।

(2)(VI)–उक्त खसरा नं. 95 नियमन काबिल होते हुए भी राजस्व अधिकारियों के द्वारा उक्त

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान

अपर कलक्टर, नागौर

खसरान का नियमन नही किये जाने की बडी भारी कानूनी एवं वाकियाती भूल की है। जिससे भी निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(VII)–खसरा नं. 95 में से 2 बीघा 3 बिस्वा भूमि का नियमन गै.मु. होटल प्रयोजनार्थ लीज जारी की गई तथा उक्त खसरा में से अन्य भूमि का भी विभिन्न प्रयोजनार्थ नियमन भी किया जा चुका है एवं उक्त खसरा के चारों तरफ आबादी बसी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों का विचारण एव विश्लेषण किये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित करने में बडी भारी कानूनी एवं वाकियाति भूल की है। जिससे भी निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(VIII)–उक्त विवादित भूमि केवल मात्र नगरपालिका क्षेत्र एवं हवाई पटटी के नजदीक होने के कारण उक्त भूमि पर नियमन का विचार नही किया गया एवं उक्त भूमि के चारों तरफ नगरपालिका क्षेत्र की भूमि है एवं उक्त खसरे से संबंधित भूमि का भी नियमन हो चुका है एवं सैकडों परिवार वहां पर सपरिवार निवास निरन्तर एवं निर्बाध रूप से करते आ रहे है। उक्त भूमि किसी भी प्रकार से गै.मु. अंगौर की भूमि नही है तथा पूर्व में उक्त भूमि की किस्म परिवर्तन बा. 4 कर दी गई थी। उसके बावजूद भी अपीलार्थी के नाम नियमन नही करने में बडी भारी कानूनी एव वाकियाती भूल की है। जिससे भी निर्णय निरस्तनीय है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जारी करने से पूर्व अपीलांट को नोटिस दिया गया है तथा जरिये अधिवक्ता पर्याप्त सुनवाई के पश्चात् आदेश जैर अपील पारित किया गया है। आराजी भूमि नगरीय क्षेत्र की भूमि है, जिसका नियमन अथवा आवंटन किया जाना प्रतिबंधित है तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके नागौर के खसरा नंबर 95 रकबा 7 बीघा गैर मुमकिन बारानी–4 राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाया गया है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है तथा अपीलांट का जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित है। आराजी भूमि सार्वजनिक राजकीय भूमि है तथा नगरीय क्षेत्र की भूमि होने से ऐसी भूमि का आवंटन/नियमन प्रतिबंधित भी है। सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील विधिसम्मत होने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर